रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1988/भाद्रपद 21, 1910
No. 491] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 1988/BHADRA 21, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1988

सा.का.नि. 922(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435-प की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (ठ) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य नौका निरीक्षण) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये ऐसी प्रत्येक मत्स्य नौका को लागू होंगे, जिसे अधिनियम का भाग XV क लागू होता है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रमाणपत्र" से, अधिनियम कि धारा 435ट के अधीन प्रदान किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "लम्बाई" से मत्स्य नौका की रजिस्ट्रीकृत लम्बाई अभिप्रेत है ;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से, अधिनियम की धारा 533 के अधीन नियुक्त भारतीय मत्स्य नौका का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन:—(1) प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन भारतीय मत्स्य नौका के स्वामी, अभिकर्ता या स्किपर द्वारा प्ररूप म नौ.नि.प्र.-1 में रजिस्ट्रार को किया जाएगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी, जो अनुसूची 1 के भाग क में विनिर्दिष्ट है ।

4. भारतीय मत्स्य नौका का निरीक्षण :—नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार भारतीय मत्स्य नौका का सर्वेक्षक से निरीक्षण करवाएगा ।

5. निरीक्षण के लिए तैयारी :—निरीक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व भारतीय मत्स्य नौका के स्वामी अभिकर्ता या स्किपर द्वारा निम्नलिखित प्रारम्भिक व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी, अर्थात् :—

(1) मत्स्य नौका साफ और मछली या बर्फ रहित की जाएगी ।

(2) सज्जा सामान और उपस्कर निरीक्षण के लिए सुलभ रखे जाएंगे ।

(3) मत्स्य नौका बाहर से साफ होगी और ठोस, जलावतरण मंच या शुष्क डाक में भूमि से पर्याप्त रूप में परे रखी जाएगी ।

6. निरीक्षण .—(1) प्रत्येक मत्स्य जलयान की बाबत निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए उसका निरीक्षण किया जाएगा,—

(क) हल, मशीनरी और उपस्कर आशयित सेवा के लिए पर्याप्त हैं और दक्षतापूर्ण हैं;

(ख) बिपर द्वार और हल तथा अधिरचना में अन्य द्वारों में बंद करने के दक्ष साधन होंगे और आशयित सेवा के लिए सभी प्रकार से संतोषप्रद होंगे ।

(ग) संवातक, वायु नलिकाएं, पार्श्व छिद्र, स्कुपर, निसर्जन और अन्य समुद्र सम्पर्क पर्याप्त और दक्ष हैं;

(घ) मौसम डेक पर प्राचीर दक्ष हैं और उनमें पर्याप्त मुक्त करने वाले पत्तन होंगे;

(ङ.) स्थायित्व के लक्षण आनति प्रयोग द्वारा अवधारित किए जाते हैं और अनुमोदित स्थायित्व सूचना पुस्तिका फलक पर दी जाती है;

(च) इसका कम से कम 20 डिग्री के तल (हील) कोण को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त फ्री बोर्ड हो, जिस पर मत्स्य धारकों की प्रगामी ओधन बिपर द्वारों के माध्यम से हो सके, जो मछली पकड़ने के दौरान खुले रहें और जो तेजी से बंद न किए जा सकें;

(छ) नोदन और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक मुख्य और सहायक मशीनरी प्रभावी नियंत्रण के साधनों के साथ होगी;

(ज) इसमें सभी सामान्य परिस्थितियों में जलयान के उचित नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए पीछे की ओर जाने के लिए पर्याप्त शक्ति हो;

(झ) ईंधन तेल, स्नेहक तेल और अन्य ज्वलशील तेल के लिए व्यवस्थाएं ऐसी हों, जिस से कि ऐसे जलयान के आकार और उसकी आशयित सेवा के अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

(ञ) तितलमें एकत्रित गंदे पानी का पम्प करने की पर्याप्त व्यवस्थाओं का उपबन्ध हो;

(ट) मुख्य और सहायक अभिचाल गियर पर्याप्त हो और आशयित सेवा के लिए पर्याप्त हो;

(ठ) विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत के अतिरिक्त विद्युत शक्ति के पर्याप्त आपात स्रोत की व्यवस्था हो और विद्युत से उत्पन्न होने वाले आघात, अग्नि और अन्य परिसंकट के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरती जाएं ।

2. प्रत्येक चलत जलयान की बाबत उसका यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा कि—

(क) यह पनरोक और दृढ है और आशयित सेवा के लिए काफी मजबूत है;

(ख) फलकाबन्दी में जोड़ अच्छी हालत में है और उचित रूप में संधि बंद की गई है ;

(ग) डेक वाले जलयान की दशा में, डेक की फलकाबन्दी अच्छी हालत में और उचित रूप में संधि बंद की गई है और बिपट द्वार के नीचे की ओर प्रभावी रूप से लकड़ी की पट्टी लगाई गई है;

(घ) पाल मजबूत और टिकाऊ है और अच्छी हालत में है तथा वे अकेले पालों के नीचे दक्षनौ परिवहन योग्य बनाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र के हैं ;

(ङ.) सभी ब्लाक, घुरा और रस्से अच्छी हालत में है और काफी मजबूत हैं;

(च) लंगर, जंजीरें, हाजर पर्याप्त और दक्ष है;

(छ) दिक नियंत्रक और चालन गियर दक्ष और अच्छी हालत में हैं ।

(3) प्रत्येक भारतीय मत्स्य नौका की बाबत उसका यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा कि वह वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षक साधित्र) नियम, 1982

वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) नियम, 1969 और वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्कर निवारण) विनियम, 1975 में विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक साधित्रों, अग्नि साधित्रों, प्रकाश, आकृति और ध्वनि संकेतों से सुज्जित है।

7. त्रुटियां :—यदि सर्वेक्षक को पता चलता है कि भारतीय मत्स्य नौका के हल, मशीनरी, उपस्कर या सज्जा में कोई त्रुटियां विद्यमान हैं तो वह प्ररूप एफ बी आई सी-II में त्रुटियां और उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक मरम्मत बताते हुए, ऐसी नौका के स्वामी या स्किपर को पत्र भेजेगा।

8. प्रमाणपत्र जारी करना :—सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाने पर कि भारतीय मत्स्य नौका ने पूर्वगामी नियमों के उपबन्धों का पालन किया है, वह प्ररूप एफ बी आई सी- III में दो प्रतियों में एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

9. समाप्त हुए प्रमाणपत्रों का परिदान :—जहां भारतीय मत्स्य नौका को जबत इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है या ऐसे जलयान में तात्विक परिवर्तन हो गया है या उसकी दुर्घटना हो गई है या जहां अधिनियम की धारा 135-ट की उपधारा (1) के अधीन उसका निरीक्षण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है वहां ऐसे जलयान का स्वामी, अभिकर्ता या स्किपर पहले पड़ाव पत्तन के रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा।

10. प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति जारी करना :—(1) मूल प्रमाणपत्र नष्ट, खोने, गलत स्थान पर रखने, बिकृत या विरूपित होने की दशा में, रजिस्ट्रार, उसे संपूर्ण तथ्य कथित करने वाले आवेदन करने पर और मामले की वास्तविकता से समाधान होने पर, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्रदान कर सकेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन के साथ अनुसूची 1 के भाग ख में अधिकथित फीस होगी।

(3) यदि गलत स्थान पर रखा गया, खोया हुआ, नष्ट हुआ बताया गया मूल प्रमाणपत्र, उसकी दूसरी प्रति के जारी करने के पश्चात् किसी भी समय मिल जाता है, तो उसे तुरंत जारी करने वाले प्राधिकारी को परिदत्त किया जाएगा।

11. विवरणियां :—प्रत्येक रजिस्ट्रार, प्ररूप एफ बी आई सी-4 में पूर्ववर्ती अर्ध वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रमाणपत्रों की विशिष्टियां दर्शित करने वाली एक विवरणी प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी और 15 जुलाई, को या उसके पूर्व महानिदेशक, पोत परिवहन को प्रस्तुत करेगा।

12. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना :—प्रत्येक भारतीय मत्स्य नौका का स्वामी, अभिकर्ता या स्किपर, किसी सर्वेक्षक, सीमाशुल्क के या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची 1

क. निरीक्षण के लिए फीस

1. 20 मीटर रजिस्ट्रीकृत लम्बाई से अनधिक मत्स्य नौका —150 रु.

2. 20 मीटर रजिस्ट्रीकृत लम्बाई से अधिक मत्स्य नौका —150 रु. 20 मीटर से आधिक्य में प्रत्येक मीटर की लम्बाई या उसके भाग के लिए 30 रु.

ख. निरीक्षण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए —20 रु.

अनुसूची 2

प्ररूप

प्ररूप सं. एफ बी आई सी-1

मत्स्य नौका के निरीक्षण के लिए आवेदन

[नियम 3 (1) देखिए]

सेवा में,

रजिस्ट्रार, के पत्तन पर स्थित

महोदय,

मैं नीचे वर्णित मत्स्य नौका के निरीक्षण के लिए आवेदन करता हूं। ——————रु. की आवश्यक निरीक्षण फीस संलग्न है।

तारीख..... 19....

भवदीय

स्वामी या स्किपर

जलयान की विशिष्टियां

मत्स्य नौका का नाम और संख्यांक	वर्णन	टन भार		कब और कहां बनाया गया	लम्बाई
		सकल	शुद्ध		

स्वामी का नाम और पता	निरीक्षण की प्रकृति	प्रस्तावित निरीक्षण की तारीख	निरीक्षण का स्थान

प्ररूप सं. एफ बी आई सी–2

त्रुटि की सूची

(नियम 7 देखिए)

भारत सरकार

द्वारा जारी किया

गया ।

सेवा में,

———————————मत्स्य नौका का स्वामी/स्किपर

———————————के पत्तन का सं.———————————

महोदय,

मैंने उपरोक्त मत्स्य नौका का भारतीय मत्स्य नौका (निरीक्षण) नियम, 1988 के अनुसार निरीक्षण किया है और त्रुटियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित मरम्मत की आवश्यकता है ।

हल———————————————

———————————————

उपस्कर ———————————————

———————————————

इंजन———————————————

———————————————

भवदीय,

सर्वेक्षक

तारीख———————— स्थान————————————

प्ररूप सं. एफ बी आई सी–3

मत्स्य नौका का निरीक्षण प्रमाणपत्र

(नियम 8 (1) देखिए)

भारत सरकार
द्वारा जारी
किया गया

मत्स्य नौका का नाम और वर्णन	रजिस्टर करने का पत्तन और संख्यांक	टन भार		स्वामी का नाम और पता
		संकल	शुद्ध	

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. ऊपर उल्लिखित मत्स्य नौका का भारतीय मत्स्य नौका (निरीक्षण) नियम, 1938 के उपबन्धों के अनुसार सम्यक रूप से निरीक्षण कर लिया है।

2. प्राण रक्षक साधित्र——————व्यक्तियों की कुल संख्या के लिए उपबन्धित हैं, अर्थात——————व्यक्तियों को स्थान उपलब्ध कराने वाली जीवन नौका/बचाव नौका;

——————व्यक्तियों को सहारा देने योग्य हवा भरने योग्य जीवन रेफ्ट;

——————लाइफ जैकट

——————लाइफ बुआए

3. निरीक्षण से दर्शित होता है कि मत्स्य नौका का हल, मशीनरी, सज्जा, प्राण रक्षक साधित्र, अग्नि साधित्र और अन्य उपस्कर अच्छी हालत में हैं और यह कि उसमें समुद्र में टक्कर का निवारण विनियम के उपबन्धों के अनुसार नौपरिवहन प्रकाश और आकृति, और ध्वनि संकेत और कष्ट में होने का संकेत करने के साधनों की व्यवस्था है।

4. अनुमोदित स्थायित्व पुस्तिका की फलक पर व्यवस्था की गई है। स्थायित्व कसौटी के साथ अपेक्षित न्यूनतम फ्री बोर्ड——————मिलीमीटर है।

विनिर्माता/स्वामी द्वारा प्रदाय किए गए इंजन/सहायक इंजन की विशिष्टियां।

मेक	वर्णन	बी.एच.पी.	प्रयोग किए जाने वाले इंजन की प्रकृति

वह तारीख, जिसको मत्स्य नौका का——————शुष्क डाक, जलावतरण मंच या ठोस में निरीक्षण किया गया था।

स्किपर का नाम।

——————

भारतीय मत्स्य नौका का रजिस्ट्रार

——————

तारीख——————

यह प्रमाणपत्र, जब तक कि पहले रद्द न किया गया हो, ——————19——————तक प्रवृत्त रहेगा।

प्ररूप सं.—एफ बी आई सी—4

मत्स्य नौका के निरीक्षण प्रमाणपत्रों की अर्ध वार्षिक विवरणी

————————का पत्तन

(नियम 11 देखिए)

भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया ।

मत्स्य नौका का नाम	रजिस्टर करने का पत्तन और संख्यांक	टन भार		किस्म	लम्बाई	शुष्क डाक/ यार्ड में निरीक्षण की तारीख	निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	निरीक्षण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख
		सकल	शुद्ध					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तारीख————————

सेवा में,

महानिदेशक,
पोत परिवहन,
मुम्बई ।

भारतीय मत्स्य नौका का रजिस्ट्रार

[न० एम० आर०/11013/1/86 एम० ए०]

रामस्नेही, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 12th September, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 922(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (d), (e) and (l) of sub-section (2) of section 435 U of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement and application-(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Indian Fishing Boats Inspection) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to every Indian fishing boat to which Part XV A of the Act applies.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "certificate" means a certificate of inspection granted under section 435K of the Act;

(c) "Form" means a form specified in Schedule II;

(d) "registrar" means a registrar of Indian fishing boats appointed as such under section 435 E of the Act;

(e) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

3. Application for certificate of inspection :—

(1) Every application for the grant of a certificate shall be made by the owner, agent or skipper of an Indian fishing boat to a Registrar in form FBIC 1.

(2) Every such application shall be accompanied by such fees as are specified in Part A of Schedule I.

4. Inspection of Indian fishing boats—On receipt of an application under rule 3, the Registrar shall cause the Indian fishing boat to be inspected by a Surveyor.

5. Preparation for inspection—The following preliminaries shall be completed by the owner, agent or skipper of an Indian fishing boat before an inspection is commenced, namely :—

(1) The fishing boat shall be made clean and free from fish or ice.

(2) Rigging and equipment shall be kept handy for inspection.

6. Inspection :—

(1) In respect of every fishing vessel, it shall be inspected to ensure that ;—

(a) the hull, machinery and equipment are sufficient for the intended service and are efficient;

(b) hatchways and other openings in hull and superstructure have efficient means of closing and are in all respect satisfactory for the intended service;

(c) the ventilators, air pipes, side scuttles, scuppers, discharges and other sea connections are adequate and efficient;

(d) bulwarks on weather deck are efficient and have sufficient freeing ports;

(e) the elements of stability are determined by an inclining experiment and an approved stability information booklet is provided on board;

(f) it has sufficient freeboard to allow an angle of heel of at least 20 degrees at which progressive flooding of fish holds could occur through hatches which remain open during fishing operations and which cannot rapidly be closed;

(g) the main and auxiliary machinery essential for the propulsion and safety is provided with effective means of control,

(h) it has sufficient power for going astern to secure proper control of the vessel in all normal circumstances;

(i) the arrangements for fuel oil, lubricating oil and other flammable oil are such as to ensure safety commensurate with the size and intended service of such vessel;

(j) adequate bilge pumping arrangements are provided,

(k) the main and auxiliary steering gear is adequate and sufficient for the intended service;

(l) it is provided with sufficient emergency source of electric power in addition to the main source of electric power and adequate precautions are taken against shock, fire and other hazards of electrical origin.

(2) In respect of every sailing vessel, it shall be inspected to ensure that—

(a) it is staunch and tight and strong enough for the service intended

(b) joints in planking are in good condition and properly caulked;

(c) in case of decked vessel, the deck planking is in good condition and properly caulked and effective means of battening down the hatches are provided:

(d) sails are strong and durable and in good condition and of sufficient area to enable efficient navigation under sails alone;

(e) all blocks, pulleys and ropes are in good condition and of sufficient strength,

(f) the anchors, chains, hawsers are sufficient and efficient;

(g) the rudder and steering gear are efficient and in good condition.

(3) In respect of every Indian fishing boat, it shall be inspected to ensure that it is equipped with life saving appliances, fire appliances, lights, shapes and sound signals specified in the Merchant Shipping (Life Saving Appliances) Rules, 1982, the Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1969 and the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Regulations, 1975.

7. Defects:—If the Surveyor finds that any defects exists in the hull, machinery, equipment or rigging of an Indian fishing boat he shall address a letter to the owner or skipper of such boat in form FBIC II pointing out the defect and the repairs necessary to make them good.

8. Issue of certificate : On the Registrar being satified on the basis of the report of the Surveyor that the Indian fishing boat has complied with the provisions of the foregoing rules, he shall grant in duplicate a Certificate in form FBIC III.

9. Delivery of expired certificates— where a certificate issued under these rules in respect of an Indian fishing boat has expired or such vessel has undergone material alteration or met with accident or where the certificate of inspection has been cancelled under sub section (1) of section 435 L of the Act, the owner, agent or skipper of such vessel shall surrender the certificate to the Registrar of the first port of call.

10. Issue of duplicate certificates—(1) In the event of an original certificate being destroyed, lost, mislaid, mutilated or defaced, the Registrar may on an application made to him stating the full facts and upon being satisfied of the genuineness of the case, grant a duplicate certificate.

(2) Every such application shall be accompanied by a fee as laid down in Part B of Schedule I;

(3) If the original certificate stated to be mislaid, lost or destroyed, shall at any time after the issue of a duplicate thereof be found, it shall forthwith be delivered to the issuing authority.

11. Returns—Every Registrar shall submit to the Director General of Shipping on or before 15th January and 15th of July of each year a return showing the particulars of certificates issued during the previous half year in form FBIC IV.

12. Production of certificate—The owner, agent or skipper of every Indian fishing boat shall produce the certificate on demand by a Surveyor, any officer of the Customs, or of the Merchantile Marine Department.

SCHEDULE—I

A Fees for inspections	
1 Fishing boats not exceeding 20 Metres registered length	Rs. 150/-
2 Fishing boats exceeding 20 metres registered length	Rs. 150/-+ Rs. 30/- for each metre length or part thereof in excess of 20 metres
For issue of a duplicate copy of certificate of inspection.	Rs. 20/-

SCHEDULE—II

FORMS

FORM NO. FBIC. I

APPLICATION FOR INSPECTION OF A FISHING BOAT

See rule 3(1)

To

The Registrar at the port of .....

Sir,

I hereby apply for the inspection of the fishing boat described below. The necessary inspection fee of Rs. .....is enclosed.

Dated this.....day of.....19

Yours faithfully,

Owner or Skipper

PARTICULARS OF VESSEL

Name & Number of fishing boat	Description	Tonnage		When and where built	Length
		Gross	Net		

FORM NO. FBIC—II

DEFECT LIST

(See rule 7)

Issued by the

Govt. of India

To

The Owner/Skipper of Fishing boat.....
No.....of the port of.....
Sir,

I have inspected the above fishing boat in accordance with the Indian fishing boats (Inspection) Rules 1988. and following repairs are required to make good the defects :—

Hull ... .
.....

Equipments .....
.....

Engines .....
.....

Yours faithfully.

SURVEYOR.

Dated.....at .....

FORM NO. FBIC—III

CERTIFICATE OF INSPECTION OF A FISHING BOAT

[See Rule 8(1)]

Issued by the
Govt. of India

Name & Description of fishing boat	Port of Registry & Number	Tonnage		Name and address of Owner
		Gross	Net	

THIS IS TO CERTIFY—

I. That the above mentioned fishing boat has been duly inspected in accordance with the provisions of the Indian fishing boats (Inspection) Rules 1988.

II. That the life saving appliances provide for a total number of.....persons viz :—

.....life-boats/boats/rescue boats capable of accommodating.....persons:

.....Inflatable liferafts capable of supporting.....persons;

.....lifejackets;

.....lifebuoys.

III. That the inspection showed that the fishing boat's hull, machinery, rigging, life saving appliances, fire-appliances and other equipment are in good condition and that it is provided with navigation lights and shapes and means of making sound signals and distress signals in accordance with the provisions of the Regulations for the Prevention of Collisions at Sea.

IV. That an approved stability booklet is provided on board. The minimum freeboard required in accordance with the stability criteria is.....millimetres.

PARTICULARS OF ENGINES/AUXILIARY ENGINE AS SUPPLIED BY MANUFACTURES/OWNERS

Make	Description	B.H.P.	Nature of Fuel used

Date on which the fishing boat was inspected in drydoek, slip-way, or hard.....

.....

Name of Skipper

.....

Registrar of Indian fishing boats

.....

Date.....

THIS CERTIFICATE UNLESS PREVIOUSLY CANCELLED, SHALL REMAIN IN FORCE UNTIL THE.....DAY OF.....19

FORM NO. FBIC—IV

HALF-YEARLY RETURN OF CERTIFICATES OF INSPECTION OF FISHING BOATS

Port of.....

(See Rule 11)

Issued by the

Govt. of India

Name of Fishing boat	Port of Registry and Number	Tonnage		Type	Length	Date of Inspection of drydock/ yard	Date of issue of certificate of inspection	Date of expiry of certificate of inspection
		Gross	Net					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Date.....

To

The Director General of Shipping,

BOMBAY.

.....

Registrar of Indian fishing boats

[No. SR/11013/1/86-MA]

RAM SANEHI, Under Secy.

2324 OI/88—3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988